



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)CE/DLB/MSRGY/2025/3830-4069

दिनांक: -27/03/2025

समस्त आयुक्त/अधिकाारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय:- "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) अंतर्गत वर्ष 2025-26 की कार्य-योजना अनुमोदन करवाकर पोर्टल पर कार्यों को अपलोड करवाने के संबंध में।
प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक :एफ56(क)CE/DLB/MSRGY/2025/1259-1540 दिनांक 28.02.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) अंतर्गत वर्ष 2025-26 की कार्य-योजना तैयार किये जाने हेतु प्रदत्त निर्देशों अंतर्गत जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरान्त वांछित स्वीकृतियां जारी कर पोर्टल पर दिनांक 25.03.2025 तक अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

किन्तु आदिनांक तक आपके नगरीय निकाय द्वारा कार्यों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है जिसके कारण 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो रहे पखवाड़े अंतर्गत समुचित संख्या में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होगा। उक्त कृत्य निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के प्रति लापरवाही तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देशों के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

अतः आपके निकाय क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन करवाकर दिनांक 31.03.2025 से पूर्व पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को मांग अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

(इंद्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: -27/03/2025

क्रमांक:एफ56(क)CE/DLB/MSRGY/2025/4070-4360
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियंता, अधिकाारी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्तावित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति समय पर जारी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.03.27 14:37:24 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119

EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN GOV IN

WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN GOV IN

क्रमांक:एफ56(क)0CE/DLB/MSRGY/2025/1259-1540

दिनांक: 28/02/2025

1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY),
समस्त राजस्थान।

2. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त), राजस्थान।

विषय:- "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर 01.04.2025 से कार्य प्रारम्भ करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" अन्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। नगरीय निकायों द्वारा वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2025-26 तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे:-

- वर्ष 2025-26 हेतु कार्यों के प्रस्ताव सर्वप्रथम जिले के प्रभारी निकाय यथा निगम/परिषद् के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाये जावे एवं प्रस्ताव में मार्गदर्शिका अनुसार अनुमत कार्यों की श्रेणी अंकित करते हुये प्रत्येक कार्य का पूर्ण नाम, कार्य की लागत, श्रम व सामग्री मद की लागत (अर्द्धकुशल श्रमिक यथा मेट, कुशल श्रमिक एवं सामग्री की गणना), कार्य की अवधि एवं कार्य समाप्ति दिनांक वर्णित करते हुये अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावे।
- नगरीय निकाय क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों एवं पोर्टल पर दर्ज मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से आवश्यक मानव-दिवस सृजन हेतु कार्यों का निर्धारण कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (shelf of project) में सम्मिलित किया जावे।
- योजनान्तर्गत अनुमत कार्य, जो उपयोगी व उपादेयी हो एवं जिनको तकनीकी रूप से करवाया जाना संभव है उनके वित्तीय प्रावधानों का गहनता से आंकलन कर प्राथमिकता से कार्ययोजना में सम्मिलित किया जावे।
- स्पष्ट पहचान हेतु कार्य का नाम "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत (वार्ड संख्या.....), में (कार्य का स्थान.....), पर (किये जाने वाले कार्य का विवरण.....)" अनुसार ही तकमीने बनवाये जावे तथा कार्य के टुकड़े कर अलग-अलग नाम से स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नहीं किया जावे।
- निकाय मद से टेण्डर आमंत्रित कर संवेदक से करवाये जा रहे नियमित कार्यों में योजना के श्रमिकों को कन्वर्जेन्स (आदेश क्रमांक 16251 दिनांक 28.07.2023) के माध्यम से नियोजित किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जावे तथा ऐसे कार्यों में आवश्यक मानव दिवस की गणना कर अकुशल श्रमिकों की संख्या का आंकलन किया जावे।
- कार्यकारी विभाग (PIA) यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को कार्य-योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे।
- वर्ष 2025-26 के नवीन कार्यों के तकमीने RUIDP ISoR 2023 के आधार पर दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनुसार बनाये जावे तथा प्रत्येक Item का श्रम एवं सामग्री मद का आंकलन पृथक्-पृथक् कर योजनान्तर्गत प्रदत्त निर्देशानुसार (Detail Estimate मय साइट प्लान, कार्य स्थल के फोटोग्राफ, गूगल मैप आदि संलग्न कर) तकमीने एवं पत्रावली विभागीय आदेश 14013-252 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार तैयार किये जावे।
- वर्ष 2024-25 के अप्रारम्भ/प्रगतिरत कार्यों (शेष मानव दिवस व शेष राशि ही) को कार्य-योजना में सम्मिलित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि समान नाम के नये कार्यों को वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित नहीं किया जावे, जिससे कार्यों का दोहराव न हो। वर्ष 2025-26 हेतु Carry Forward कार्यों में शेष कार्य/राशि/मानव दिवस एवं अनुमानित अवधि की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जावे। Carry Forward कार्यों को पुनः पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में अपलोडेड कार्य में राशि का परिवर्तन, कार्य समाप्ति का परिवर्तन आदि जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पत्र निदेशालय के MSRGY प्रकोष्ठ को प्रेषित किये जावे।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रगतिरत कार्यों को दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावे। जो कार्य 31.03.2025 तक अप्रारम्भ रहते हैं, उन्हें निरस्त एवं

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 19:34 IST
Reason: Approved



31.03.2025 तक प्रगतिरत कार्यों को यथास्थिति पूर्ण करवाये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त कर सूचना पोर्टल पर अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

10. राज्य स्तर से नवीन प्रकृति के कार्य सृजन/कार्यों में परिवर्तन/बीएसआर संशोधन/Wage Rate पुनरीक्षण आदि के निर्देश दिये जाने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात् निकायों द्वारा कार्य-योजना परिवर्तित की जा सकती है। योजना की मार्गदर्शिका की बिन्दु संख्या 9(C) के अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक मासिक आधार पर आयोजित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक जिला प्रभारी निगम/परिषद् प्रतिमाह इस बैठक को आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। जिससे कार्यों की समीक्षा उचित प्रकार से की जा सके। कार्य-योजना में किये गये संशोधन को परिशिष्ट-1 व 2 में समाविष्ट करते हुए सूचना पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए निदेशालय को ई-मेल द्वारा अवगत करावे। नगरीय निकायों द्वारा नवीन कार्यों के प्रस्ताव/संशोधन/संविदा कार्मिकों के संबंध में निर्णय आदि सीधे जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत नहीं करके जिला प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जावे।
11. नवगठित नगर परिषद्/पालिका में योजना क्रियान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 1244-1263 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्रांक 1134-1151 दिनांक 12.02.2025 अनुसार निर्धारित प्रभारी नगरीय निकायों द्वारा आवंटित नगर परिषद्/पालिका की कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर कार्य प्रारम्भ करावे।
12. निकाय द्वारा समस्त अनुमोदित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में पूर्ण कर दिनांक 15.04.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए, निदेशालय के योजना प्रकोष्ठ को ई-मेल (msrgy@rajasthan.gov.in) के माध्यम से अवगत करावे।

वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने हेतु अनुमानित वित्तीय प्रावधान:-

योजना के वित्तीय प्रावधान अंतर्गत प्रति निकाय श्रम मद, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद की गणना कर नियमानुसार निर्धारित अनुपात सुनिश्चित किया जावे।

(अ) प्रशासनिक मद:- योजनान्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निकाय स्तर पर नियुक्त संविदा कार्मिकों के वेतन/भत्ते भुगतान, योजना के विज्ञापन एवं प्रशासनिक कार्य से संबंधित अन्य व्यय का भुगतान कुल व्यय राशि के अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जावे।

(ब) श्रम मद (70 प्रतिशत):- रोजगार हेतु नियोजित अकुशल श्रमिकों को देय कुल राशि (कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक रखा जाना अनिवार्य है)।

(स) सामग्री मद (30 प्रतिशत):- कार्य हेतु नियोजित कुशल श्रमिक, मेट एवं सामग्री का भुगतान कुल व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत (कुल व्यय का 30 प्रतिशत से कम रखा जाना अनिवार्य है)।

(द) कुल प्रावधान:- श्रम मद + सामग्री मद + प्रशासनिक मद

अतः वर्ष 2025-26 हेतु अंतरिम कार्य-योजना निकायवार संलग्न सूची अनुसार नगर निगम प्रत्येक को रु. 1.50 करोड़, नगर परिषद् प्रत्येक को रु. 1.00 करोड़ एवं नगर पालिका प्रत्येक को रु. 0.60 करोड़ आवंटित राशि का अधिकतम 1.5 गुना (Time) तक के कार्यों के प्रस्ताव मय आवश्यक स्वीकृतियां दिनांक 25.03.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए दिनांक 01.04.2025 से कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- नगरीय निकायों की श्रेणीवार सूची।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 28/02/2025

क्रमांक:एफ56(क)CE/DLB/MSRGY/2025/1541-1556

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. स्टेट एम. आई. एस. मैनेजर (MSRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत।
7. सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 10:19:34 IST
Reason: Approved

“मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना” की वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2025-26 का विवरण

निकाय जिला संभाग

- कुल जॉब कार्डों की संख्या (आदिनांक तक)
- रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (आदिनांक तक)
- रोजगार की मांग करने वाले परिवारों के सदस्यों की संख्या (आदिनांक तक)
- रोजगार आवंटित किये गये परिवारों की संख्या (वर्ष 2024-25 के आधार पर)
- रोजगार आवंटित किये गये सदस्यों की संख्या (वर्ष 2024-25 के आधार पर)
- अनुमानित 100 से 125 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (वर्ष 2024-25 के आधार पर)
- वर्ष 2024-25 के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति...../OBC...../SBC....
/BPL...../अल्पसंख्यक /EWS लाभान्वित परिवारों की संख्या
- अनुमानित तकमीना लागत (वर्ष 2025-26)
- अनुमानित मानव दिवसों का सृजन (वर्ष 2025-26)
- श्रम एवं सामग्री का अनुपात

(अ) वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कार्यों का सारांश:-

क्र. सं.	कार्य संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम: सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कुल कार्यों का विवरण।							
(B)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्यों की विवरण।							
(C)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों की विवरण।							
(D)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से प्रगतिरत कार्यों का विवरण।							

(ब) वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतरिम (Provisional) वार्षिक कार्य-योजना का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य-योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम: सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वर्ष 2024-25 में सृजित किये गये प्रगतिरत कार्य की शेष राशि एवं अप्रारम्भ कार्य जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्मिलित किये जाने है का विवरण। (वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के कार्यों को इस कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।)							
	नोट:-प्रगतिरत कार्यों की शेष राशि के लिये अलग से वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्यों को पूर्ण कराने के लिये शेष आवश्यक राशि को ही इस कार्य-योजना का वित्तीय भार माना जावे तथा शेष राशि का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन आवश्यक है।							
1. (A)	वर्ष 2024-25 के प्रगतिरत कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में लिये जाने है।							
1. (B)	वर्ष 2024-25 के अप्रारंभ कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में लिये जाने है।							
1.	योग:- वर्ष 2024-25 के कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने है। [1.(A)+1.(B)]							

क्र. सं.	कार्य-योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम: सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यों का विवरण।								
2. (A)	पर्यावरण संरक्षण कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त हरियालों राजस्थान अन्तर्गत वृक्षारोपण संबंधी कार्य, नर्सरी स्थापित करने का कार्य, सघन वृक्षारोपण कर शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य आदि)							
2. (B)	जल संरक्षण संबंधी कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अंतर्गत भराव क्षमता/केचमेंट बढ़ोतरी का स्पष्ट आंकलन करते हुए, पाल पक्का करना, पिचिंग, पानी के इनटेक हेतु नालियां बनाना इत्यादि सम्मिलित करते हुए कम्पोजिट प्लान तैयार करना)।							
2. (C)	स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त रेग-पिकिंग, Material Recovery Facility Plant पर श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य, Community Toilet/Public Toilet/Public Urinals सफाई एवं देखरेख का कार्य, Garbage Vulnerable Point (G.V.P) हटाने का कार्य, घर-घर कचरा संग्रहण में Source Segregation, Cleanliness Target Units (CTU) तथा Black Spot निवारण इत्यादि कार्य)।							
2. (D)	सम्पति विरूपण (Defacement of property) रोकने सम्बन्धी कार्य।							
2. (E)	कन्वर्जेंस कार्य:- योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्यों में श्रम मद हेतु कन्वर्जेंस कार्य (निकाय द्वारा जारी निविदा कार्यों में संवेदको के माध्यम से न्यूनतम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिक योजना के माध्यम से लगाने हेतु प्रदत्त निर्देश पत्रांक 16251 दिनांक 28.07.2023 अनुसार) (प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य सम्मिलित नहीं किये जावे)							
2. (F)	सेवा सम्बन्धी कार्य।							
2. (G)	हैरिटेज संरक्षण से संबंध कार्य।							
2. (H)	अन्य कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त। मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र में श्रमिक उपलब्ध करवाने का कार्य।							
2. (I)	अन्य विभागों परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग आदि द्वारा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य।							
2.	योग:-2 (A to I) (वर्ष 2025-26 में नवीन प्रस्तावित कार्य)							
महायोग [1+2]								

नोट:-	
1.	कार्य-योजना में सम्मिलित उक्त समस्त कार्यों का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है तथा सक्षम स्तर से प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
2.	उक्त सभी कार्यों की पत्रावली निदेशालय के पत्रांक 14013-252 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार तैयार की गई है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त कार्य-योजना विभाग द्वारा जारी पत्रांक 16057-16451 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार श्रम एवं सामग्री अनुपात 70:30 (श्रम मद 70 प्रतिशत से कम नहीं है तथा सामग्री मद 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है) व प्रशासनिक मद की 6 प्रतिशत सीमा सुनिश्चित की जावेगी।

3.	जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित प्रत्येक कार्य की पूर्ण सूचना पोर्टल पर अपलोड करवा दी गई है।
4.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित (पोर्टल पर अपलोडेड अथवा नहीं) 31.03.2025 तक अप्रारंभ तथा अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत यथास्थिति समाप्त कर दिया गया है।
5.	विभागीय आदेश क्रमांक 128881-29128 एवं 129172-175 दिनांक 27.12.2022, क्रमांक 891-1137 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार स्थायी प्रकृति के कार्यों का चयन किया गया है।

(हस्ताक्षर नाम व पद)
अधिकाधिक अभियंता
नगर निगम/परिषद्/पालिका

.....

(हस्ताक्षर नाम व पद)
आयुक्त/अधिकाधिक अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका

.....

“मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना” की वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2025-26 का विस्तृत विवरण

निकाय जिला संभाग

(अ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के कार्यों का विवरण :-

(A) वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कुल कार्यों का विवरण:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(B) वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्यों की विवरण:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(C) वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों की विवरण:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(D) वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में से प्रगतिरत कार्यों की विवरण:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(ब) वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतरिम (Provisional) वार्षिक कार्य-योजना का विवरण :-

(वर्ष 2024-25 के प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों का विवरण जिनको वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्य-योजना में सम्मिलित किया जाना है)

1.(A) वर्ष 2024-25 के प्रगतिरत कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में लिये जाने हैं:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

1.(B) वर्ष 2024-25 के अप्रारंभ कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में लिये जाने हैं:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

2. वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यों का विवरण:-

(A) पर्यावरण संरक्षण कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त हरियालों राजस्थान अन्तर्गत वृक्षारोपण संबंधी कार्य, नर्सरी स्थापित करने का कार्य, सघन वृक्षारोपण कर शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य आदि):-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(B) जल संरक्षण संबंधी कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अंतर्गत भराव क्षमता/केचमेंट बढ़ोतरी का स्पष्ट आंकलन करते हुए, पाल पक्का करना, पिचिंग, पानी के इनटेक हेतु नालियां बनाना इत्यादि सम्मिलित करते हुए कम्पोजिट प्लान तैयार करना):-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(C) स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त रेग-पिकिंग, Material Recovery Facility Plant पर श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य, Community Toilet/Public Toilet/Public Urinals सफाई एवं देखरेख का कार्य, Garbage Vulnerable Point (G.V.P) हटाने का कार्य, घर-घर कचरा संग्रहण में Source Segregation, Cleanliness Target Units (CTU) तथा Black Spot निवारण इत्यादि कार्य):-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

(D) सम्पत्ति विरूपण (Defacement of property) रोकने सम्बन्धी कार्य:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	योग							

- (E) **कन्वर्जेन्स कार्य:**—योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्यों में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स कार्य (निकाय द्वारा जारी निविदा कार्यों में संवेदको के माध्यम से न्यूनतम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिक योजना के माध्यम से लगाने हेतु प्रदत्त निर्देश पत्रांक 16251 दिनांक 28.07.2023 अनुसार) (प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य सम्मिलित नहीं किये जावे):—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

- (F) **सेवा सम्बन्धी कार्य:**—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

- (G) **हैरिटेज संरक्षण से संबंध कार्य:**—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

- (H) **अन्य कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप-श्रेणियों के अतिरिक्त। मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र में श्रमिक उपलब्ध करवाने का कार्य):**—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

- (I) **अन्य विभागों परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग आदि द्वारा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य:**—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)			श्रम:सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(हस्ताक्षर नाम व पद)
अधिशायी अभियंता
नगर निगम/परिषद/पालिका

(हस्ताक्षर नाम व पद)
आयुक्त/अधिशायी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
